

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Transfer Appl. No. 180/2024

Neha

-----Petitioner

Versus

Mayank Gupta

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Gopalkrishna

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/07/2025

अयाची की तामील हेतु योग्य अधिवक्ता याची नए सिरे से पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह की अवधि में पेश करें।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने पर अयाची को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से एवं दूसरी प्रति विद्वान अधिवक्ता याची को रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने हेतु दस्ती प्रदान की जावे।

अंतरिम आदेश, यदि कोई पारित किया गया है तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

75-mayank/-